न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

A/1/33

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 22/2010

वादी

1.पेमाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा (पांचवा) तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1.हरदेवाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा (पांचवा)
2.मैनेजर यू.को.बैंक शाखा पांचवा
3.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) जिला नागौर
4.तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा इस्तकरार हक बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 30/11/15

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का पांचवा की सरहद मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 54 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 57 रकबा 1.10 हैक्टर ,खसरा नम्बर 58 रकबा 2.15 हैक्टर , खसरा नम्बर 59 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 63 रकबा 4.97 हैक्टर स्थित है । जो वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भोमाराम के कब्जा काश्त व खातेदारी की रही है । भोमाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि उनके वारिसान मोहरीदेवी बतौर पत्नी, हुक्माराम, पेमाराम व हरदेवाराम के बतौर पुत्र उत्तराधिकारी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई । पारिवारिक विभाजन स्वरूप खसरा नम्बर 54,57,58,59 की कुल 3.35 हैक्टर भूमि वादी के भाई प्रतिवादी हरदेवाराम को बंट के भाई हरदेवाराम को बंट दी गई जिसके तथा खसरा नम्बर 63 रकबा 4.97 हैक्टर सम्पूर्ण वादी पेमाराम के हक व बंट में रखी गई है । इसी उदेश्य से प्रतिवादी हरदेवाराम व भाई हुक्माराम तथा माता मोहरी देवी ने दिनॉक 23.02.2005 को उक्त पैतृक भूमि में खसरा नम्बर 63 के सम्पूर्ण के हक हकुक बाबत हक त्याग पत्र बहक वादी उप पंजयीक कार्यालय कुचामनसिटी में निष्पादित को पंजीबद्व कराया गया, जिसके पंजीयक क्रमांक 402/05 दिनॉक 22.03.2005 अंकित हुए है । हक त्याग के बाद हुक्माराम, हरदेवाराम, मोहरी देवी का कोई हक हकुक खसरा नम्बर 63 रकबा 4.97 हैक्टर भूमि के किसी भाग पर नही रहा, तथा खसरा नम्बर 54,57,58,59 की सम्पूर्ण भूमि 3.35 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नं.1 हक में कब्जा में रही । इसी हक त्याग माफिक खसरा नम्बर 54,57,58,59 के किसी भाग व हिस्सा बाबत वादी का कोई हक व अधिकार नही रहा है । इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 अपने 2 बंट व हक की भूमि का मौके पर उपयोग, उपभोग करते आ रहे है । हक त्याग माफिक अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम खसर नम्बर 54,57,58,59 कुल रकबा 3.35 हैक्टर सम्पूर्ण के बाबत नामान्तरकरण संख्या 117 दिनॉक 18.01.2008 को स्वीकृत होकर प्रतिवादी नम्बर 1 इस खसरा

.....2.....

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 2/34

नम्बर का सम्पूर्ण का बतौर खातेदार अभिलिखित हुआ है । दिनॉक 22.03.2005 को वादी के हक में पंजीकृत हक त्याग 402/05 के अनुसरण मे वादी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाया। जबकि नामा.117 दिनॉक 18.01.2008 के अनुसरण में प्रतिवादी नं.1 के नाम खसरा नम्बर 54,57,58,59 के रेकर्ड में ही दर्ज होना चाहिए था। लेकिन पटवारी हल्का की भूल से रेकर्ड में खसरा नम्बर 54,57,58,59 के साथ साथ वादी के हक में व बंट मे आई भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 4.97 हैक्टर का इन्द्राज भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज करा दिया गया जो स्वतः ही नल एण्ड वाईड शून्य है, क्योकि प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में खसरा नम्बर 63 का हक त्याग नही हुआ था। खसरा नम्बर 63 सम्पूर्ण वादी के हक में हकत्याग हुई है । तब से वादी अकेला खसरा नम्बर 63 की सम्पूर्ण भूमि पर जायज रूप से काबिज चला आ रहा है पटवारी हल्का को कहने पर उसने मना कर दिया तथा खाता दुरूस्ती करने को कहा । दिनॉक 03.03.2010 को तहसील हाजा से खतौनी नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 63 का इन्द्राज प्रतिवादी नं.1 के नाम होने की व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जा के खसरा नम्बर 63 सहित प्रतिवादी संख्या 2 के यहॉ रहन दर्ज होने की जानकारी हुई । जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का खसरा नम्बर 63 में उसका कोई लेना देना नही है । वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 63 रकबा 4.97 हैक्टर सम्पूर्ण का वादी काबिज खातेदार कृषक है । इस आशयच की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री व हक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 2 सादिर फरमाई जावे,तथा खसरा नम्बर 63 के राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी नं.1 2 का नाम हटाया जाने की आज्ञा प्रदान करावें । उपर्युक्त खसरा नम्बर 63 रकबा 4.97 हैक्टर के बाबत नामान्तरकरण संख्या 142 दिनॉक 20.11.2009 को वादी के अधिकारो पर निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जावें तथा उक्त नामन्तरकरण के आधार पर पश्चातवर्ती इन्द्राज को निरस्त फरमाया जावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 हरदेवाराम ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये वाद को अस्वीकार कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 54,57,58,59,63 भूमि का कभी कोई विधिवत बंटवारा नही हुआ है । यह भूमि सभी खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है । प्रत्येक काश्तकार का उपरोक्त भूमि में इंच इंच पर हक व अधिकार रहा हैं लेकिन हुक्माराम ने अपने हिस्से की अन्य खसरान की भूमि का बेचान करने पर उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या एक के बराबर बराबर संयुक्त रूप से कब्जे काश्त में होने पर प्रतिवादी संख्या एक का बड़ा भाई पेमाराम होशियार व्यक्ति है और प्रतिवादी संख्या 1 भोला भाला व मन्द बुद्वि का व्यक्ति है । जिसका वादी ने नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी नम्बर 1 को मुगालते में रखकर यह कहकर कि उपरोक्त खसरान की भूमि की खातेदारी में से हुक्माराम व मोहरीदेवी का नाम हटाकर उक्त भूमि का अपने दोनो भाईयो के बीच विधिवत बराबर बंटवारा कराके अलग अलग खातेदारी दर्ज करवायेगें ताकि आगे सुविधा रहे । इस पर प्रतिवादी संख्या 1 भोलाभाला व्यक्ति होने से व वादी का छोटा भाई होने से उनके साथ दिनॉक 22.03.2005 को उप पंजीयन कार्यालय कुचामनसिटी आया तब वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को मुगालते मे रखकर हुकमाराम व मोहरीदेवी के साथ सम्पूर्ण खसरा 63 रकबा 4.97 हैक्टर भूमि का अपने पक्ष मे

.....3.....

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

हक त्याग करवा लिया और अन्य खसरा नम्बर 54,57,58,59 रकबा 3.35 हैक्टर को हुकमाराम व मोहरीदेवी के साथ हक त्याग कर दिया । इस प्रकार वादी प्रतिवादी संख्या 1 को मुगालते मे रखकर अपने नाम अच्छी किस्म भूमि 1.62 हैक्टर का अधिक अपने हक में हक त्याग करवा कर पटवारी हल्का पांचवा के पास उपरोक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने के लिये गये तब पटवारी हल्का पांचवा द्वारा मालुम होने पर प्रतिवादी संख्या एक ने आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर वादी ने कहा कि खसरा नम्बर 63 की आपके हिस्से की भूमि रकबा 0.81 हैक्टर है उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या एक के नाम करवा देगा और नामान्तरकरण को शुद्वि हेतु नामान्तरकरण जांच प्रक्रिया में रख दिया गया । वादी द्वारा यह वाद झूठा प्रस्तुत किया गया है । खसरा नम्बर 63 मे 0.81 हैक्टर भूमि आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में है । जिसका वह उपयोग उपभोग करता आ रहा है । प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 54,57,58,59 व 63 की अपने हिस्से की 1/2 भाग की सम्पर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के रहन दर्ज करवाई थी । वादी का वाद खारीज फरमाया जावे ।

दस्तावेजी साक्ष्य मे वादी द्वारा चालू जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068की नकल,नामान्तरकरण संख्या 117 की छाया प्रति,एवं प्रतिवादी द्वारा चालू जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 खाता संख्या 43 की नकल एवं हक त्याग पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की । तत्पश्चात पत्रावली में तनकियात कायम की गई ।

वादी द्वारा अपने पक्ष मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह हरिनारायण पुत्र गोमाराम जाट हाल कांकोट,का शपथ पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिवादी हरदेवाराम द्वारा अपने पक्ष में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया । जो शामिल मिसल उपलब्ध है । तत्पश्चात प्रस्तुंत दावा एवं जवाब अनुसार न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की जाकर शामिल मिसल की गई ।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी नं. 1 – आया सरदारपुरा पटवार मण्डल पांचवा के खसरा नम्बर 54,57,58,59,63 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि है । पैतृक खातेदार से हक त्याग पंजिबद्व कराया हुआ है– जिम्मे वादी

वादी के वाद पत्र संलग्न खतौनी हक त्याग व प्रतिवादी के जवाब से उक्त आराजी पैतृक है तथा हक त्याग पंजिबद्व कराया हुआ है जो शामिल मिसल है । इसलिये तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में साबित है ।

तनकी नं. 2– आया खसरा नम्बर 54,57,58,59प्रतिवादी संख्या 1 तथा खसरा नम्बर 63 वादी संख्या 1 के नाम पैतृक होने से हक त्याग उप पंजियन कार्यालय से पंजिबद्व कराने पर खातेदारी पाने का अधिकारी है – जिम्मे वादी

उक्त आराजी पैतृक होने पर हक त्याग जरिये पंजियन कराने पर खातेदारी पाने के कानूनन अधिकारी है इसलिये तनकी नं. 2 वादी के पक्ष में साबित है ।

तनकी नं. 3 – आया खसरा नम्बर 63 पर वादी का कब्जा काश्त है – जिम्मे वादी

उक्त आराजी के खातेदारो ने हक त्याग जरिये पंजियन दिनॉक 22.3.15 के द्वारा वादी के हक में कराया है । उक्त आराजी पैतृक है । हक त्याग के सम्बन्धित कोर्ट मे चाराजोही नही

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

की है तो पैतृक आराजी पर कब्जे के सबंध में कोई विवाद होने का प्रश्न ही नही होता है इसलिये तनकी नं.3 वादी के पक्ष में साबित है ।

तनकी नं. 4 – आया खसरा नम्बर 63 के सम्बन्ध मे हक त्याग वादी संख्या 1 के नाम गलत हुआ है । हक त्याग को सम्बन्धित न्यायालय से गलत साबित कराया है –

जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

पत्रावली मे हक त्याग पंजियन संख्या 402/05, 404/05 405/05 दिनॉक 22.3.15 के शामिल है , उक्त हक त्याग किसी भी न्यायालय में चाराजोही करने की प्रतिवादी संख्या 1 एवं इनके वकील द्वारा पेश नही की है । इसलिये तनकी नं. 4 प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी के पक्ष मे साबित है ।

तनकी नं. 5 – आया खसरा नम्बर 63 पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है ।

जिम्मे प्रतिवादी सं.1

हक त्याग संख्या 402/05 के द्वारा अपना हक हिस्सा वादी के नाम करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त नही होकर वादी के कब्जे काश्त में होना प्रतीत होता है ।

वाद पत्र में तनकी कर विवेचन करने पर वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात, नकल खतौनी, हक त्याग पत्र ,बयानात का अवलोकन से उक्त आराजी पैतृक है तथा पैतृक सम्पती का हक त्याग विधिवत पंजियन कराया गया है । प्रतिवादी ने अपने जवाब में बताया है कि प्रतिवादी संख्या एक भोला–भाला एवं मन्द बुद्वि का है व गलत हक त्याग कराया है । पत्रावली के संलग्न हक त्याग के अवलोकन से हक त्याग वर्ष 2005 में कराया हुआ है । आज दिनॉक तक सम्बन्धित न्यायालय के हक त्याग गलत होने की चाराजोही नही की है इससे यह साबित है कि उक्त हक त्याग सही है तथा वादी जरिये हक त्याग अपनी पैतृक सम्पति में हक प्राप्त कर खातेदारी पाने का अधिकारी है । इसलिये उक्त विवेचन से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार डिक्री पारीत की जाती है ।

आदेश

ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 63 रकबा 4.97 हैक्टर सम्पूर्ण का वादी पेमाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाता है । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को लिखा जावें ।

निर्णय आज दिनॉक 30/7/15 को सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कुचामन सिटी (नागौर)